[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 29/ 2020- सीमा शुल्क
नई दिल्ली, दिनांक **6** जुलाई, **2020**

सा.का.नि. ...(अ).- जहां कि "फ्थेलिक एनहाइड्राइड" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,**1975** (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद **2917 35 00** के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में व्यापार उपचार महानिदेशक (एतश्मिन पश्चात जिन्हें उक्त प्राधिकारी से संबंधित किया गया है) ने इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या कोरिया गणराज्य से विषयगत वस्तु के आयात के कारण आयात में वृद्धि हो गई है और क्या ऐसे बढ़े हुए आयात के कारण हमारे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है या सारवान क्षति होने का खतरा पैदा हो गया है, प्रारंभिकरण अधिसूचना संख्या 22/8/2019-डीजीटीआर, दिनांक 1 अक्तूबर, 2019, जिसे दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के तहत भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के अनुसार जांच का कार्य शुरू किया है ।

और जहां कि अधिसूचना संख्या 22/8/2019-डीजीटीआर, दिनांक 11 मई, 2020, जिसे दिनांक 11 मई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के तहत द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच के अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में उक्त प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

(i) कोरिया से होने वाले आयात को शुल्क में रियायत दिए जाने के कारण कम मूल्य पर आयात किए जाने से कोरिया से विषयगत वस्तु का आयात बढ़ गया है जिससे यहां के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है;

(ii) कोरिया से हो रहे आयात के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का खतरा बना हुआ है;

(iii) घरेलू उद्योग को हुई यह क्षति ऐसे बढ़े हुए आयात के कारण हुई है और कोरिया से होने वाले आयात को शुल्क में दी जा रही रियायत के कारण कोरिया से होने वाले विषयगत वस्तु के आयात और घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के खतरे के बीच एक सीधा संबंध देखा जा सकता है;

(iv) इन वर्तमान कारकों से जटिल परिस्थितियां पैदा हो गई है और घरेलू उद्योग का सकल काम-काज प्रभावित हो रहा है जिसके कारण अनंतिम रूप से द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय को लागू किया जाना औचित्यपूर्ण सिद्ध होता है;

और अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय के रूप में कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित और भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य के बीच हुए बृहद् आर्थिक साझेदारी करार (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त व्यापार करार से संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत आयातित विषयगत वस्तु पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर को, द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय के लागू होने की तारीख पर विषयगत वस्तु पर लगाए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन शुल्क या उक्त व्यापार करार के लागू होने के तत्काल पूर्व विषयगत वस्तु पर लगने वाले मोस्ट फेवर्ड नेशन शुल्क, दोनों में से जो भी कम हो, के स्तर तक 200 दिनों के लिए बढ़ाए जाने की सिफारिश की है ।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009, जिसे सा.का.नि. 943 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित प्रकार से और आगे भी संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में क्रम संख्या 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
"230.	2917 33 से 2917 34 तक	सभी वस्तुएं	0.00**";**

(ii) सारणी में क्रम संख्या 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"230क.	**2917 35 00**	सभी वस्तुएं	0.00
230ख.	**2917 35 00**	सभी वस्तुएं	7.50";

(iii) सारणी के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

"बशर्ते कि, व्यापार उपचार महानिदेशक द्वारा सिफारिश किये गए अनंतिम रक्षोपाय उपाय को प्रभाव देने हेतु,-

(क) उक्त सारणी के क्रम संख्या 230क और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निहित किसी भी बात का प्रभाव **2**1 जनवरी, 202**1** तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, नहीं होगा, और

(ख) उक्त सारणी के क्रम संख्या 230ख में निहित प्रविष्टियों का प्रभाव **2**1 जनवरी, 202**1,** जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक ही रहेगा;

यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं होता है या इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है ।"

(फाइल संख्या 354/51/2020-टीआरयू)

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को सा.का.नि 943 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2019-सीमा शुल्क, दिनांक **30** दिसम्बर, 2019 जिसे सा.का.नि 964 (अ), दिनांक **30** दिसम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।